

(1)

UPKN010066082026



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-08, कानपुर नगर।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-2272 / 2026

शानू कुमार पुत्र गणेश प्रसाद उम्र 32 वर्ष निवासी-ग्राम दुर्गापुरवा, ख्यौरा कटरी
नवाबगंज, कानपुर नगर।प्रार्थी।

बनाम

राज्य उ0प्र0 सरकार द्वारा जिला शासकी अधिवक्ता, कानपुर नगर।

.....विपक्षी

मु0अ0 सं0-347 / 2025

धारा-420,467,468,471,120बी भा0दं0सं0,

थाना-बिठूर, कानपुर नगर।

10.06.2026

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त शानू कुमार की ओर से मु0अ0सं0-347 / 2025, धारा-420,467,468,471,120बी भा0दं0सं0, थाना-बिठूर, कानपुर नगर में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त ने स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र माननीय सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेशानुसार जरिये अन्तरण प्राप्त हुआ है।
2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर कोई बल न दिये जाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।
3. सुना एवं अवलोकन किया।
- 4.. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल न दिये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र बल न दिये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, तदनुसार निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त शानू कुमार की ओर से मु0अ0सं0-347 / 2025, धारा-420,467,468,471,120बी भा0दं0सं0, थाना-बिठूर, कानपुर नगर के प्रकरण में प्रस्तुत

(2)

अग्रिम जमानत प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल न दिये जाने के आधार पर निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 10.06.2026

(विजय कुमार गुप्ता-I)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 08
कानपुर नगर।